FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

पायल बंसल **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए, प्रकरण संख्या 30 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/463

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2025	प्रार्थी पायल बंसल पत्नी सुनील बंसल जाति अग्रवाल निवासी केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने, के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 819 दिनांक 03.12.2025 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251ए में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 2/1, 9, 12 की 30X412.5 वर्गफीट भूमि को गैरमुमकिन रास्ता के रूप में स्वीकृत किए जाने के आदेश दिए जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 2/1 की 0.023 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.046 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.046 हैक्टेयर कुल 0.115 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाना चाहाती है। मौके पर प्रस्तावित भूमि पर पंहुच हेतु 0.115 हैक्टेयर भूमि में रास्ता चालु है। किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। भूमि की किस्म नहरी है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 2/1 की 0.023 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.046 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.046 हैक्टेयर कुल 0.115 हैक्टेयर भूमि को संलग्न नक्शा मुताबिक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- रीडर/2025/765 **दिनांक :- 09.10.2025**

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 30/2025 अनवान पायल बंसल बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 09.10.2025 के संबध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.102025 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 23 एफ, पटवार हल्का कमीनपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 2/1 की 0.023 हैक्टेयर, किला नम्बर 9 की 0.046 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 की 0.046 हैक्टेयर कुल 0.115 हैक्टेयर भूमि को संलग्न नक्शा मुताबिक गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)**}**
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)